न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 8 / 2020

बउनवानः—

पुष्पा बाई पत्नि जुगल किशोर जाति रेगर निवासी मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थीया

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

वकील प्रार्थीया : श्री मनोज कुमार गालव

दायरा दिनांकः 20.06.2020 — निर्णय दिनांक : 18.11.2020

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया के खाते की आराजी वाके ग्राम मांगरोल की खाता संख्या 540 खसरा नं0 4553 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 4554 / 5004 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 4555 / 5005 रकबा 0.02 है0 किता 3 रकबा 0.96 है0 स्थित है। प्रार्थीया के खाते का खसरा नं0 4553 रकबा 0.39 है0 का हाल राजस्व नक्शा मिलान क्षेत्रफल हाल जमाबंदी साबिक राजस्व नक्शा सन् 1954—55 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है एवं मात्र एक खसरा नं0 4553 बाबत ही प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीया के खाते के खेत के खसरा नं0 4553 का रकबा 0.39 है0 दर्ज रेकार्ड है। मौके पर भी हकत काश्त पूरी आराजी पर है। किन्तु वक्त बन्दोबस्त राजस्व कार्मिको ने नक्शा लट्ठा में राजस्व नक्शा छोटा कर दिया है जो साबिक नक्शे की तुलना में क[illegible] सहवन से पैमाना अनुसार राजस्व नक्शा 0.08 है0 छोटा हो गया है। और हाल नक्शा से [illegible] में 0.31 है0 ही नापा जा सकता है। पैमाना नक्शा पर खाते में दर्ज रिकार्ड खसरा नं0 [illegible] रकबा 0.39 है0 [illegible] नक्शा दुरूस्त कराकर तरमीम कराया जाना आवश्यक हो गया है। उक्त त्रु[illegible] संशोधित कराने की [illegible] अधिकारी व नालिशी है। अतः प्रार्थीया के खाते का खसरा नं0 4553 रकबा 0.39 है0 का राजस्व नक्शा साबिक नक्शे की तुलना में छोटा हो जाने से तरमीम किया जाकर साबिक नक्शा अनुसार दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:44:50 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 20.06.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल

किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2020/35 दिनांक 28.01.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उक्त प्रकरण के संदर्भ में खसरा नं0 4553 रकबा 0.39 है0 का मापन सम्बन्धित उपकरणो से करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त खसरा नं0 4553 रकबा 0.39 है0 ही है। मापन करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त खसरा नम्बर का रकबा साबिक नक्शे की तुलना में कम नही है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील प्रार्थी की दिनांक 18.11.2020 को बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 18.11.2020 को अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम मांगरोल की आराजी खसरा नं0 4553 का रकबा मापन सम्बन्धित उपकरणो से ज्ञात करने पर 0.39 है0 ही है जिसमें किसी प्रकार की कमी नही हुई है। जिससे किसी प्रकार के नक्शे दुरूस्ति किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:44:50 IST
Reason: SelfAttested